

प्रेस नोट दिनांक 08.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास में 03 अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्त/ अभियुक्ता, गोविन्द लाल सरोज, अमित सरोज उर्फ रोहित, अनीता सरोज को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत छतरपुर नारा पंच भईयन मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

दिनांक 04.04.2026 को वादी की पत्नी के साथ पड़ोस की शोभा पत्नी गोविन्द द्वारा गाली-गलौज करते हुए विवाद किया गया, जिस पर शोभा व उसके परिजन रोहित उर्फ अमित, गोविन्द व अनीता लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी लेकर आए और सामूहिक रूप से मारपीट की। इस दौरान रोहित उर्फ अमित ने कुल्हाड़ी से वादी की पत्नी के सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया तथा बीच-बचाव करने आए व्यक्ति पर भी जानलेवा हमला कर उसका सिर फोड़ दिया एवं अंगूठा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंतू पर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 109(1)/110/115(2)/117(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में थाना अंतू के उपनिरीक्षक रविंद कुमार यादव मय हमराह महिला आरक्षी रेशमा यादव, आरक्षी अवधेश यादव, आरक्षी कन्हैया विश्वकर्मा व आरक्षी अंकित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 109(1)/110/115(2)/117(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 03 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. गोविन्द लाल सरोज पुत्र स्व श्रीनाथ उम्र करीब 52 वर्ष, 02. अमित सरोज उर्फ रोहित पुत्र गोविन्द लाल सरोज उम्र करीब 27 वर्ष, 03. अनीता सरोज पुत्री गोविन्द लाल सरोज उम्र करीब 32 वर्ष निवासी गण ग्राम छतरपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत छतरपुर नारा पंच भईयन मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. गोविन्द लाल सरोज पुत्र स्व श्रीनाथ उम्र करीब 52 वर्ष,
02. अमित सरोज उर्फ रोहित पुत्र गोविन्द लाल सरोज उम्र करीब 27 वर्ष,

03. अनीता सरोज पुत्री गोविन्द लाल सरोज उम्र करीब 32 वर्ष निवासी गण ग्राम छतरपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उपनिरीक्षक रविंद कुमार यादव मय हमराह महिला आरक्षी रेशमा यादव, आरक्षी अवधेश यादव, आरक्षी कन्हैया विश्वकर्मा व आरक्षी अंकित यादव थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस की कार्यवाही: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त महताब हुसैन के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री पंकज कुमार वर्मा, का0 आशीष कुमार, का0 सुनील पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौपई के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त महताब हुसैन पुत्र स्व० जमीलदीन निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 66/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. महताब हुसैन पुत्र स्व० जमीलदीन निवासी ग्राम सरखेलपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष ।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री पंकज कुमार वर्मा, का0 आशीष कुमार, का0 सुनील पटेल थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अपहरण/दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त भरत प्रसाद उपरेती को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 संतोष कुमार व का0 योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/65 (1)/87 बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त भरत प्रसाद उपरेती उम्र 24 वर्ष पुत्र घनश्याम प्रसाद उपरेती निवासी ग्राम बहुआवांद थाना माईथान जिला चमोली उत्तराखण्ड को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत माँ बेल्ला देवी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. भरत प्रसाद उपरेती उम्र 24 वर्ष पुत्र घनश्याम प्रसाद उपरेती निवासी ग्राम बहुआवांद थाना माईथान जिला चमोली उत्तराखण्ड ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह हे0का0 संतोष कुमार व का0 योगेश कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा “शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अरूण कुमार गौतम को गिरफ्तार किया गया-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत महदहा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनंद पाल सिंह के नेतृत्व में 30नि0 सरनाम सिंह मय हमराह का0 हरिकेश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 69/351(3) बीएनएस थाना पट्टी प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अरूण कुमार गौतम पुत्र मुन्नर गौतम निवासी ग्राम पुरानी पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष के पीड़िता के साथ पूर्व से संबंध थे, जिसमें शादी का झांसा देकर अभियुक्त उपरोक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा, को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत महदहा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरूण कुमार गौतम पुत्र मुन्नर गौतम निवासी ग्राम पुरानी पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष।

पुलिस टीम-

30नि0 सरनाम सिंह मय हमराह का0 हरिकेश पाल थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा “ दुष्कर्म” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गोपाल शाहू को गिरफ्तार किया गया-

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम काकराबाद कसिया थाना कोखराज जनपद कोशाम्बी से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री अयोध्या कुमार मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र सिंह, म0का0 अंजली त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 115(2)/351(2)/64 बीएनएस थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गोपाल शाहू पुत्र मथुरा प्रसाद औसत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम काकराबाद कसिया थाना कोखराज जनपद कोशाम्बी को ग्राम काकराबाद कसिया थाना कोखराज जनपद कोशाम्बी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01 . अभियुक्त गोपाल शाहू पुत्र मथुरा प्रसाद औसत उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम काकराबाद कसिया थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी ।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक श्री अयोध्या कुमार मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र सिंह, म0का0 अंजली त्रिपाठी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाँक्सों एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो0 अकरम को किया गया गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत भीखमपुर पुलिया पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह का0 इमरान खान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65 (2)/115(2)/351 (3)/352 बीएनएस,5(m)/6 पाक्सो एक्ट थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 अकरम पुत्र मो0 कयूम निवासी ग्राम सरायदासू थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत भीखमपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 अकरम पुत्र मो0 कयूम निवासी ग्राम सरायदासू थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह का0 इमरान खान थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजू गौतम को गिरफ्तार किया गया-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को भुपियामऊ ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव ,का0 ओमप्रकाश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 64(1)/351(3)/352 B.N.S थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजू गौतम पुत्र पप्पू निवासी ग्राम जगतपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को भुपियामऊ ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजू गौतम पुत्र पप्पू निवासी ग्राम जगतपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 सुनील यादव ,का0 ओमप्रकाश पाल थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग के अभियोग से संबंधित 01 नफर अभियुक्त पीसीआर प्राप्तशुदा की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन, 02 जिंदा कारतूस 7.65 बोर बरामद -

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम हरईपट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ अपनी किराना गुमटी पर बैठा था, तभी दो मोटरसाइकिलों से आए 5 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई अमित के बारे में पूछताछ कर दुकान का सामान फेंककर नुकसान किया तथा ₹10,000 की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। प्रार्थी के अनुसार उक्त घटना ध्रुव तिवारी निवासी सौराई थाना आसपुर देवसरा द्वारा अपने साथियों के साथ पूर्व विवाद के चलते कराई गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-99/2026

धारा 191 (2)/191 (3)/190324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान मय का० विपिन यादव व का० सतीश पाल, चालक हे0 का0 मुकेश त्रिपाठी द्वारा थाना पट्टी के मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/190324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 से संबंधित पीसीआर प्राप्तशुदा 01 अभियुक्त ध्रुव तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी नि0 ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन, 02 जिंदा कारतूस 7.65 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन, 02 जिंदा कारतूस 7.65 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी के मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/190324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 में धारा 3/25/ 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त ध्रुव तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी नि0 ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास (Criminal History):- अभियुक्त ध्रुव तिवारी पुत्र कृष्णकुमार तिवारी निवासी ग्राम सौराई, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण निम्नवत है—

1- मु0अ0सं0 27/2026, धारा 109(1)/115(2)/288/3(5)/353(3) बीएनएस, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 99/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/324(2)/308(5)/352/351(3)/288 बीएनएस, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0 52/2025, धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।

4- मु0अ0सं0 369/2024, धारा 115(2)/117(2)/324(2)/351(3)/352 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन, 02 जिंदा कारतूस 7.65 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान मय का० विपिन यादव व का० सतीश पाल, चालक हे0 का0 मुकेश त्रिपाठी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मुकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश सिंह को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चकवन तोड़ से किया गया गिरफ्तार -

प्रतापगढ़।

दिनांक 06.04.2026 को वादिनी निवासी ग्राम चकवनतोड़ पूरे ओझा थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़ अपने पति के साथ खेत में पशुओं को हटाने गई थीं, जहां पहले से घात लगाए मुकेश व भोला सिंह पुत्रगण जयसिंह तथा मोनू पुत्र भोला सिंह निवासी उपरोक्त ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से वादिनी के पति पर लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लगने से वह अचेत होकर गिर पड़े। अभियुक्तगण उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 217/26 धारा 109 (1) बी0एन0एस0 बनाम 03 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह हे0 का0 नासिर कमाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 217/26 धारा 109 (1) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मुकेश सिंह पुत्र जय सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चकवन तोड़ थाना कोतवाली नगर जिला प्रतापगढ़ को ग्राम चकवन तोड़ से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मुकेश सिंह पुत्र जय सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चकवन तोड़ थाना कोतवाली नगर जिला प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 972/2021 धारा 308,323,452,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 217/26 धारा 109 (1) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह हे0 का0 नासिर कमाल थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।